कार्यालय उप वन संरक्षक, बीकानेर

बिश्नोई धर्मशाला के सामने पब्लिक पार्क, बीकानेर Email-dfobkn@gmail.com टेलि. नं–01512544951

क्रमांक एफ ( )सर्वे / 2020–21 / 406 दिनांक – 13/1/2021

निमित्त,

उप महा प्रबंधक,
हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
जोधपुर।

विषय – Diversion of 0.0457 Ha. of forest land in favour of Hindustan petroleum corporatin Ltd Jodhpur for Construction of approach road for proposed Hindustan petrolium retail outlet on patta no 228 Beechwal Sri Ganganagar road NH- 15 (New NH- 62 RHS) at Bikaner WML (Between RSRTC bus stand & Kanasar by pass) Proposat No. FP/RJ/ROAD/46325/2020

सदर्भ – शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1 (139)वन / 2020 जयपुर दिनांक 23.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार वन विभाग राजस्थान जयपुर का पत्रांक प.1 (139)वन / 2020 जयपुर, दिनांक 23.12.2020 द्वारा Diversion of 0.0457 Ha. of forest land in favour of Hindustan petroleum corporatin Ltd. Jodhpur for Construction of approach road for proposed Hindustan petrolium retail outlet on patta no 228 Beechwal Sri Ganganagar road NH- 15 (New NH- 62 RHS) at Bikaner WML (Between RSRTC bus stand & Kanasar by pass) Proposat No. FP/RJ/ROAD/46325/2020 जिला बीकानेर में स्थापित किये जाने वालें पेट्रोल पम्प तक आवागमन हेतु संपर्क सडक निर्माण हेतु 0.0457 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सशर्त सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की है। अतः शर्तो अनुसार निम्न बिन्दुओ की राशि जमा करवाकर पालना भिजवाना सुनिश्चित करावे।:–

बिन्दु संख्या 10– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रख रखाव हेतु नई बी.एस.आर 225 / – रूपये मॉडल अनुसार आवश्यक धनराशि रूपये 90000 / – (अखरे रूपये नब्बे हजार मात्र) कैम्पा नई दिल्ली मे जमा करावे।

बिन्दु संख्या 11– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) राशि = 0.0457 है0 **X** 438000 रूपये = 20017 / – (अखरे रूपये बीस हजार सतरा मात्र) रूपये कैम्पा मद नई दिल्ली मे जमा करावे ।

बिन्दु संख्या 14– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्रांक 7–23 / 2012– एफ.सी. दिनाक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना मे भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति 2 दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एव अंग्रेजी) मे प्रकाशित करवाकर समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में भिजवावें एव जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के अलावा सैद्वान्तिक स्वीकृति के शेष बिन्दुओ के बिन्दु सख्या 1 से 9, 12 एवं 13 की बिन्दुवार पालना सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुसार भिजवाना सुनिश्चित करावें। प्रकरण में जमा की जाने वाली राशि ई–चालान से कैम्पा मद में जमा करवाकर मूल प्राप्ति रसीद भिजवावें।

भवदीय
13/1/2021
(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक / सम / 407-408 दिनांक:– 13/1/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर

13/1/2021
(अनीता)
उप वन संरक्षक
बीकानेर

G:\Survey 20121 part ii1.docx